ालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 445/2018—19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

1. आनन्द मसीह बोदरा वो 2. प्रेमिका बोदरा — विक्रेता

मोनिका तोपनो — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
20.02.19	(see below)	

आदेश

आवेदक 1. आनन्द मसीह बोदरा पिता स्व0 मनसिद्ध बोदरा वो 2. प्रेमिका बोदरा पति स्व0 जयमसी बोदरा ग्राम—डुडरी, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने मोनिका तोपनो पति श्री हलन्त तोपनो ग्राम—सोमार बाजार मुरहू, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
डुडरी	43	15	839	0.10

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1501843109 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 164 दिनांक 16.02.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम सोनडा जोहन मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार जयमसीह वगैरह के नाम भूमि का रकवा 7.70 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा कुल 3.85 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017—18 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 13650.00(तेरह हजार छः सौ पच्चास)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.75 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. आनन्द मसीह बोदरा पिता स्व0 मनसिद्ध बोदरा वो 2. प्रेमिका बोदरा पति स्व0 जयमसी बोदरा को मोनिका तोपनो पति श्री हलन्त तोपनो के साथ ग्राम डुडरी के खाता सं0 15 खेसरा संख्या 839 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 13650.00(तेरह हजार छः सौ पच्चास)प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

20/02/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

20/02/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।